108

पत्रांक–विधि कोषांग–प्रति0–2–1/2019का0.....6017 3720

झारखण्ड सरकार

कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

डॉ0 डी0के0 तिवारी,
मुख्य सचिव,झारखण्ड।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/
प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त,
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 26.7.19

विषय : वाद सं0-W.P.(S) No. 5373/2017– रेखा देवी–बनाम– राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय,राँची द्वारा दिनांक–18.06.2019 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वाद सं0-W.P.(S) No. 5373/ 2017– रेखा देवी–बनाम– राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक–18.06.2019 को पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि पदाधिकारी द्वारा सीधे माननीय न्यायाधीश से पत्राचार करने का मामला माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के प्रकाश में आया है। माननीय न्यायालय द्वारा इसे पदाधिकारियों में जानकारी का अभाव होने के रूप में लेते हुए पदाधिकारियों में न्यायालय की प्रक्रिया की जानकारी होने की अपेक्षा की गई है तथा इस प्रकार से सीधे पत्राचार को अस्वीकार्य बताया गया है।

झारखण्ड उच्च न्यायालय प्रक्रिया नियमावली के अधीन शपथ–पत्र द्वारा माननीय न्यायालय को तथ्यों/प्रतिवेदन से अवगत कराने अथवा अनुपालन समर्पित करने की व्यवस्था है। सरकार का पक्ष माननीय न्यायालय में रखने हेतु संवैधानिक व्यवस्था के तहत विद्वान महाधिवक्ता अधिकृत हैं। विद्वान महाधिवक्ता के अधीन विद्वान विधि पदाधिकारियों का दल कार्यरत होता है। अतएव इस व्यवस्था के अनुसार ही माननीय न्यायालय में तथ्यों/प्रतिवेदनों/अनुपालनों को रखा जाना है।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को किसी भी परिस्थिति में माननीय न्यायालय से सीधे पत्राचार नहीं करने के संबंध में अवगत कराया जाय एवं इस निदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। माननीय न्यायालय से सीधे पत्राचार करना सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 का उल्लंघन माना जाएगा।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

25/7/19

(डी0 के0 तिवारी)
मुख्य सचिव,झारखण्ड।.